न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 79/2024 (2024/312)

अनवान

1. सोहनलाल पिता गोपीलाल चमार नि.गोदी तहसील बस्सी हाल मुकाम जाफर खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. ऊँकार पिता गोपीलाल चमार नि.गोदी तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. माधु पिता गोपीलाल चमार नि.जाफर खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ
3. कमला पुत्री गोपीलाल चमार नि.जाफर खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमती परतापी पुत्री गोपीलाल चमार पत्नी जगनाथ नि.जाफरखेडा हाल मुकाम आजोलिया खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती कैलाशी पुत्री गोपीलाल चमार पत्नी देवीलाल हाल मुकाम आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ
6. हरिशंकर पिता सुरजमल सालवी नि.अरनियापंथ तह.व जिला चित्तौडगढ
7. चन्द्रप्रकाश निंदरवाल पिता सत्यनारायण धोबी नि.आशुतोष नगर चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
8. चन्द्रशेखर पिता सत्यनारायण धोबी नि.आशुतोष नगर चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
9. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
10. श्रीमान् शाखा प्रबन्ध महोदय चित्तौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ
11. श्रीमान् राजस्थान सरकार जरिये श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—183—188—209 आर.टी.ए.

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति : श्री सत्यनारायण राव अधिवक्ता वादी

श्री बसन्ती लाल पोखरना अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07, 08

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.</u>

निर्णय दिनांक 20.04.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88–89–183–188–209 आर.टी.ए. का ग्राम गोदी पटवार हल्का पाल तहसील बस्सी की खाता संख्या 96 मे वर्णित आराजीयात. के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जैर बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07 , 08 ने प्रार्थना पत्र बाबत् 07 नियम 11 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया किया कि वादपत्र मे वर्णित तथ्यानुसार भारतीय स्टेट बैंक, चित्तौडगढ के यहा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि रहन रख रहन राशि प्राप्त की हुई थी एवं रहन राशि की वसूली के क्रम में उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के यहा बैंक द्वारा रोडा एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यवाही के क्रम में वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 21.09.2005 को पब्लिक ऑक्शन द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 हरिशंकर को विक्रय कर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोय चित्तौडगढ के द्वारा क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2007 को जारी किया। यह तथ्य वाद में वादी स्वंय ने उल्लेखित किया है। उक्त जारी क्रय प्रमाण पत्र को विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौति दिये बगैर जो वाद माननीय न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत किया वह माननीय न्यायालय के समायत योग्य न होने के कारण एंव मियाद बाहर भी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय चित्तौडगढ द्वारा जो क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2007 को प्रतिवादी संख्या 06 हरिशंकर के पक्ष मे जारी किया जिसके आधार पर वाद मे यह उल्लेखित किया हुआ है कि उक्त क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 06 हरिशंकर का नाम वादग्रस्त आराजीयात के लिए नामान्तरित हो गया और वाद पत्र मे वादी ने स्वंय ने यह अभिवचन किया हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 06 हरिशंकर ने

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम पर हो जाने के आधार पर खातेदार के रूप में वादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को रजिर्स्टड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दिया और प्रतिवादी संख्या 07 व 08 का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में नामान्तरित हो गया। उक्त अभिवचन वादी स्वंय के वाद पत्र मे स्पष्ट रूप से अंकित किये हुए है। सोहन लाल वादी ने कभी भी इस वाद से पूर्व उक्त किसी रिकार्ड एंव कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनौति नही दी हुई थी , तो यही माना जाएगा कि उक्त समस्त कार्यवाहियों में उसकी विवक्षित सहमति रही है ऐसी स्थिति में धारा 41 संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने प्रतिवादी संख्या 06 को पूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया और अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराया ऐसी स्थिति में सदभावी क्रेता प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध जो वादग्रस्त कृषि भूमि का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है , वह निरस्तनीय है। वादी का वाद तुच्छ प्रकृति का होकर निरर्थक स्थिति वाला है, तो न्यायालय का समय नष्ट न हो इसलिए न्याय के व्यापक हित में ऐसे वाद को जो VAXIOUS होने के कारण NIP IN NUDD अर्थात प्रारम्भ में ही न्यायालय को प्राप्त विषाल विवेकाधिकार जो धारा 151 सीपीसी मे दिये गये है का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाना चाहिए । अन्त मे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि को भारतीय स्टेट बैंक चित्तौडगढ के यहा प्रतिवादी संख्या 01 , 02 व मृतक भाई बालू जो कि तत्कालीन सहखातेदार था ने मिलकर रहन रखकर ऋण प्राप्त किया था और बैंक द्वारा रहन राषि की वसूली बाबत् उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के यहा रोडा एक्ट के तहत वसूली कार्यवाही चला ऋण राशि वसूल की यह तथ्य रेकॉर्डेड होना स्वीकार है लेकिन अन्य तथ्य स्वीकार नही हो प्रतिवादी

(दौलू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 02 व 03 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में उन तमाम कार्यवाहीया जो उनके द्वारा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 05 की अनुपस्थिति मे की गई है। उक्त तमाम कार्यवाहीया बेअसर है। वाद वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात होने से वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का बाई बर्थ राईट होने से अपने विलोपित अधिकारो को पुन प्रतिस्थापित करने का नैसर्गिक न्यायिक अधिकार है एंव उक्त प्रकृति के प्रकरण मयाद का बिन्दू लागू नही होता है। वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष न्यायालय आपके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 05 उक्त कलम में उल्लेखित की गयी समस्त कार्यवाहीयों में ना उपस्थित रहे है, ना ही वाद लाने से पूर्व जानकारी मे रही है। प्रतिवादी संख्या 01, 02 मृतक बालू व 06 , 07 , 08 ने अपने मन मकसूद तरीके से उक्त कार्यवाहियों को अंजाम देकर वाद वर्णित आराजीयात जो कि हम जवाबकर्ता एंव प्रतिवादी संख्या 03 से 05 की मौरूसी जायदाद है को फर्दन– फर्दन अवैधानिक तरीके से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया जो काबिल –ए खारीज योग्य है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व एक नजर विधिक प्रावधनो की रोशनी पर जो कि इस प्रकार है :–

विशेष :– विधिक प्रावधानो के अनुसार आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ मे नामंजूर किया जावेगा।

(क) जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पपर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है ,

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है , किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर , जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है

(घ) जहाँ वाद पत्रं के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहाँ यह दो प्रतियों मे फाइल नही किया जाता है

(च) जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन का अनुपालन करने मे असफल रहता है

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत् घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती , कब्जा बेदखली एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव पंजीकृत दस्तावेज शून्य घोषित कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी 07 व 08 ने जो मुख्य आपत्ति अपने प्रार्थना पत्र मे उठाई है कि वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 21.09. 2005 को पब्लिक ऑक्शन द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को विक्रय कर माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय चित्तौडगढ द्वारा क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2007 जारी किया । उक्त क्रय प्रमाण पत्र को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दिये बगैर वाद माननीय न्यायालय के समायत योग्य नही है एव इसके साथ वाद मियाद बहार होने की भी आपत्ति जाहिर की है।

उक्त आपत्ति का खण्डन करते हुए वक्त बहस अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से राजस्व न्यायालय मे पेश किया है।

उक्त आपत्ति के विनिश्चय के लिए हमने वाद पत्र का सारवान पठन पाठन किया । वाद पत्र मे वर्णित अभिवचनो से यह जाहिर हुआ है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा पब्लिक ऑक्शन मे क्रय कर माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2007 को जारी किया। उक्त क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 का नाम राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरित हुआ है ।

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ... जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तथ्यो से यह बात स्पष्ट उजागर है कि वादी स्वंय वाद पत्र के अभिवचनो मे यह तथ्य स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी संख्या 06 के पक्ष मे क्रय प्रमाण पत्र से हुआ है एंव क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज हुआ है। यह बात सही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती व कब्जेयाबी का दावा राजस्व न्यायालय के समायत है परन्तु हस्तगत मामले की वास्तविक स्थितियाँ कुछ और है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण पब्लिक ऑक्शन मे जरिए क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2007 से हुआ है। इसके साथ वादी ने वाद पत्र के कलम संख्या 06 के अभिवचनो मे भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र एंव निलामी से खरीद प्रमाण पत्र को शून्य एंव निष्प्रभावी घोषित कराये जाने हेतू वाद पत्र पेश किया है।

चूंकि यहा स्पष्ट करना उचित रहेगा की क्रय प्रमाण पत्र व पंजीकृत दस्तोवज को शून्य एंव निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। उक्त क्रय प्रमाण पत्र के अस्तित्व मे रहते हुए वादी राजस्व न्यायालय के समक्ष कोई अनुतोष चाहने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस संबंध मे न्यायालय का मत है कि हस्तगत वाद मे वादी को खातेदारी घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व वाद पत्र मे वर्णित क्रय प्रमाण पत्र को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त कराया जाना आवश्यक है।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो (घ) की रोशनी मे प्रकाशमान प्रतीत होता है।

अत : प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार वादी का वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का न होने से विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

(... ...)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. सोहनलाल पिता गोपीलाल चमार नि.गोदी तहसील बस्सी हाल मुकाम जाफर खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

1. ऊँकार पिता गोपीलाल चमार नि.गोदी तहसील बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. माधु पिता गोपीलाल चमार नि.जाफर खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ
3. कमला पुत्री गोपीलाल चमार नि.जाफर खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमती परतापी पुत्री गोपीलाल चमार पत्नी जगनाथ नि.जाफरखेडा हाल मुकाम आजोलिया खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
5. श्रीमती कैलाशी पुत्री गोपीलाल चमार पत्नी देवीलाल हाल मुकाम आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ
6. हरिशंकर पिता सुरजमल सालवी नि.अरनियापंथ तह.व जिला चित्तौडगढ
7. चन्द्रप्रकाश निंदरवाल पिता सत्यनारायण धोबी नि.आशुतोष नगर चित्तौडगढ तह. व जिला चित्तौडगढ
8. चन्द्रशेखर पिता सत्यनारायण धोबी नि.आशुतोष नगर चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
9. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
10. श्रीमान् शाखा प्रबन्ध महोदय चित्तौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ
11. श्रीमान् राजस्थान सरकार जरिये श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बस्सी जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही : प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी

प्रकरण संख्या : 79/2024 (2024/312)

अप्रार्थी/वादी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण राव की, और प्रार्थी/प्रतिवादी 07 व 08 की ओर से अधिवक्ता बसन्तीलाल पोखरना की उपस्थिति में यह प्रार्थना पत्र (07 नियम 11 जा.दी.) आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का नही होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

यह आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner